Form-I

(for linear projects)

Government of Jharkhand

Office of the Deputy Commissioner , Dhanbad.

No. 1250 **(Welfare Section)** Dated 29/10/016

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of Ministry of environment and forests (MoEF), Government of India Letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under Schedule Tribe and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes rend with MoEF letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of Linear projects, it is certified that **3.61 acres (0.3889 hectares)** of forest land proposed to be diverted in favour of **POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD.** (Name of user agency) for construction of **220 K.V D/C Govindpur Dumka Transmission Line** (Purpose for diversion of forest land) in DHANBAD district falls within jurisdiction of **Bariyatand and Fatehpur Village (s) in East Tundi** Tehsils. Details of Land noted bellow:-

Sl No.	Name of Anchal	Name of Village	Thana No.	CS Plot	RS Plot	Total (In Acre or Hectare)
1	Purvi Tundi	Bariyatand	256	02	14	0.3419 hectares
2		Fatehpur	254	1077	1329	0.0470 hectares
		Total:-				**0.3889 hectares**

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **3.61 acres (0.3889 Hectares)** of forest area proposed for diversion. A copy of recording all the consultation and meetings the Sub Division level committee enclosed as annexure **1** to Annexure **II**.....

(b) The diversion of forest land facilities managed by the government as required under section 3(2) of FRA have been completed. And the Gram Sabah's have given their consent to its

(c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl; As above

29/10/16
District Welfare Officer,
Dhanbad.

10/16
Deputy Commissioner,
Dhanbad.

Memo No. 1250 / Dated 29/10/016

1. Asst. GM Power Grid Corporation of India Ltd. Dhanbad for information & necessary action.
2. ~~Executive Engineer PHD Division 02 Dhanbad for information & necessary action~~.
3. Additional Collector, Dhanbad for information & necessary action.
4. District Forest Officer Dhanbad for information & necessary action.
5. Circle Officer, Tundi for information & necessary action.
6. Commissioner North Chhotanagpur Division Hazaribag for information & necessary action.
7. Special Secretary to Government Revenue and Land Reform Dept. Jharkhand Ranchi for information & necessary action.
8. Secretary to Government Welfare Deptt. Jharkhand Ranchi for information & necessary action.

District Welfare Officer,
Dhanbad.

Deputy Commissioner,
Dhanbad.

श्री आंजनेयुलु दोड्डे, भा0प्र0से0, उपायुक्त धनबाद की अध्यक्षता मे आज दिनांक – 29.10.2016 को वन अधिकार अधिनयम 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत प्राप्त दावों की समीक्षा हेतु बैठक की कार्यवाहीः–

उपस्थितिः–

1. उपायुक्त, धनबाद ।
2. वन प्रमंडल पदाधिकारी, धनबाद।
3. जिला कल्याण पदाधिकारी, धनबाद।
4. श्रीमती रेनुका मोदी, जिला परिषद सदस्य, धनबाद।
5. श्री गुरूचरण बास्की, जिला परिषद सदस्य, धनबाद।
6. श्री सुनील कमार मुर्मू, जिला परिषद सदस्य, धनबाद।

1. जिला कल्याण पदाधिकारी, धनबाद द्वारा बतलाया गया कि अनुमण्डल पदाधिकारी, धनबाद के ज्ञापांक 1024 दिनांक 20.10.2016 एवं 1036 दिनांक 22. 10.2016 से उप महाप्रबंधक पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि0, धनबाद के पत्रांक 646 दिनांक 06.09.2016 के द्वारा 220K.V D/C गोविन्दपुर–दुमका Transmission Line के निर्माण हेतु टुण्डी अंचल अन्तर्गत मौजा बरियाटॉड मौजा नं0 256 प्लॉट संख्या 02 मे रकवा 0.3419 हेक्टर एवं मौजा फतेहपुर मौजा नं0 254 में रकवा 0.0470 हेक्टर अधिसूचित वन भुमि का वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु बैठक की कार्यवाही एवं विहित प्रपत्र में प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है।

जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अंचल अधिकारी पूर्वी टुण्डी के पत्रांक 339 दिनांक 05.10.2016 से ग्राम सभा की कार्यवाही एवं पत्रांक 349 दिनांक 18.10.2016 से Form-1 में प्रमाण पत्र तथा अनुमण्डल पदाधिकारी, धनबाद के प्रमाण पत्र संख्या 1024 दिनांक 20.10.2016 से प्रमाण पत्र प्राप्त है। जिसके आलोक में 220K.V D/C गोविन्दपुर–दुमका Transmission Line के निर्माण हेतु टुण्डी अंचल अन्तर्गत मौजा बरियाटॉड मौजा नं0 256 मे रकवा 0.3419 हेक्टर एवं मौजा फतेहपुर मौजा नं0 254 में रकवा 0.0470 हेक्टर अधिसूचित वन भुमि का

वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में निर्गत करने की स्वीकृति प्रदान करती है।

जिला कल्याण पदाधिकारी, धनबाद। | वन प्रमण्डल पदाधिकारी, धनबाद। 29-10-16 | उपायुक्त, धनबाद।

रेनुका मोदी, जिला परिषद सदस्य, धनबाद। | गुरूचरण बास्की, जिला परिषद सदस्य, धनबाद। | सुनील कमार मुर्मू, जिला परिषद सदस्य, धनबाद।

ज्ञापांक 1249 / क0 दिनांक 29/10/016

प्रतिलिपिः— संबंधित सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्वयक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— अंचल अधिकारी, पूर्वी टुण्डी सूचनार्थ एवं आवश्वयक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— वन प्रमण्डल पदाधिकारी, धनबाद सूचनार्थ एवं आवश्वयक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— अनुमण्डल पदाधिकारी, धनबाद सूचनार्थ एवं आवश्वयक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— अपर समाहर्त्ता, धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्वयक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला कल्याण पदाधिकारी, धनबाद। | वन प्रमण्डल पदाधिकारी, धनबाद। 29-10-16 | उपायुक्त, धनबाद।

रेनुका मोदी 29.10.016 | 29/10/016 | सुनील कुमार मुर्मू 29/10/16

रेनुका मोदी, जिला परिषद सदस्य, धनबाद। | गुरूचरण बास्की, जिला परिषद सदस्य, धनबाद। | सुनील कमार मुर्मू, जिला परिषद सदस्य, धनबाद।

अंचल अधिकारी का कार्यालय, पूर्वी टुण्डी

पत्रांक 349

प्रेषक,

अंचल अधिकारी
पूर्वी टुण्डी।

सेवा में,

अनुमण्डल पदाधिकारी
धनबाद।

पूर्वी टुण्डी, दिनांक - 18/10/16

विषय— 220 के0वी0डी0सी0 गोविन्दपुर दुमका पारेषण लाईन में पड़नेवाले वनभूमि के लिए form-1 का प्रेषण।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि 220 के0वी0डी0सी0 गोविन्दपुर दुमका पारेषण लाईन में पड़नेवाले वनभूमि के लिए form-1 इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

अनु0— form-1

विश्वासभाजन

18/10/16

अंचल अधिकारी
पूर्वी टुण्डी।

Form-I

Government of Jharkhand

Office of the Circle Officer, East Tundi, .Dhanbad.

Dated 18/10/16

No 01

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of Ministry of environment and forests (MoEF), Government of India Letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the Process of settlement of rights under schedule Tribe and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act 2006 (FRA For Short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MoEF letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of Liner projects, it is certified that 3.61 **Acres** **(0.3889 Hectares)** of forest land proposed to be diverted in favour of विद्युत आपूर्ति विभाग, धनबाद (Name of user agency) for Construction of Electricity Supply Scheme (Purpose for diversion of forest land) in Dhanbad district falls within jurisdiction of **Bariyatand and Fatehpur** Villages(s) In **East TUNDI** Tehsils.

It is further certified that :

(a) The Complete Process for identification and settlement of rights under the FRA has been carrie out for the entire 3.61 Acres **(0.3889 Hectares)** of forest area proposed for diversion. A copy c recording all the consultation and meetings of Gram Sabha level committee enclosed annexure I

(b) The diversion of forest land facilities managed by the government as required under section 3 of FRA have been completed. And the gram sabahs have given their consent to its.

(c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricult communities.

Encl; As above

18/10/16

Circle Officer, EastTundi, Dhar

अंचल अधिकारी

पूर्वी टुण्डी

अंचल अधिकारी का कार्यालय, पूर्वी टुण्डी

पत्रांक—339

अंचल अधिकारी
पूर्वी टुण्डी।

अनुमण्डल पदाधिकारी,
धनबाद।

पूर्वी टुण्डी ,दिनांक 05/10/16

विषय— 220 के0 वी0 डी0 सी0 गोविन्दपुर—दुमका पारेषण लाईन में पड़ने वाले वनभूमि के लिए ग्रामसभा एवं FRA निर्गत करने हेतु ।

प्रसंग— अपर समाहर्त्ता धनबाद के पत्रांक—3485 दिनांक—16.09.16

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि 220 के0 वी0 डी0 सी0 गोविन्दपुर—दुमका पारेषण लाईन निर्माण हेतु पड़ने वाले वन भूमि के लिए ग्राम सभा का आयोजन किया गया जिसमें कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई जिसका प्रतिलिपि संलग्न है । जिसमें ग्राम फतेहपुर एवं वरीयाटाँड़ सम्मिलित है ।

अतः वनाधिकार नियम 2006 के तहत FRA निर्गत किया जा सकता है ।

विश्वासभाजन

अंचल अधिकारी
पूर्वी टुण्डी।

ग्रामसभा/ आमसभा अनापत्ति प्रमाण पत्र

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा 220 के वी डी सी गोविन्दपुर दुमका पारेषण लाइन निर्माण के लिये वनाधिकार अधिनियम-2006 के अंतर्गत आज दिनांक 02/10/16 ग्राम फतेहपुर .... प्रखण्ड पूर्वी टुंडी .... जिला धनबाद झारखण्ड, में ग्रामवासियों की एक सभा आयोजित की गयी,जिसमें पावरग्रिड के द्वारा पारेषण लाइन निर्माण से सम्बंधित विस्तृत रूप से चर्चा की गई। चर्चा की विवरणी निम्नवत है:-

1. वन भूमि अप योजन का प्रस्ताव प्रस्तावित क्षेत्र में पड़ने वाले वन निवासियों के ग्राम सभा के समक्ष रखा गया। परियोजना की विस्तृत विवरणी तथा अनुवर्ती प्रभाव के संबंध में वस्तुस्थिति स्थानीय भाषा/मातृभाषा में ग्राम सभा को व्याख्यायित कर दी गयी है।
2. ग्राम सभा में यह बात सुनिश्चित किया गया कि वन भूमि अप योजन के प्रस्ताव के संबंध में की गयी चर्चा एवं लिये गये निर्णय के समय ग्राम सभा के न्यूनतम 50% सदस्य की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।
3. ग्राम सभा में इस बात की पुष्टि की गयी कि आदिम जनजाति समूह एवं आदिम कृषक समुदाय के अधिकार, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा-3(2) (e) के अनुसार, विशेष रूप से रक्षित किया गया है।
4. ग्राम सभा में इस बात की पुष्टि की गयी कि सरकार के द्वारा दिये जाने वाली सुविधाओं से संबंधित वन भूमि अप योजन का प्रस्ताव (यदि कोई हो) के संबंध में (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा-3 (1) (e) की धारा- 3(2) (e) के तहत प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है तथा ग्राम सभा द्वारा इस पर सहमति व्यक्त की गयी है।

ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पावरग्रिड के द्वारा 220 के वी डी सी गोविन्दपुर दुमका पारेषण लाइन निर्माण के लिये मौजा फतेहपुर थाना 254 (प्लौट संख्या Rs - 1329 CS - 1077 ....) का 0.0470 .... हेक्टेयर वन भूमि अपयोजन के लिये अनुशंसा की गई एवं इसकी पुष्टि की गई कि वनाधिकार अधिनियम-2006 के तहत उक्त भूमि पर किसी का दावा नहीं है।

ग्रामवासियों द्वारा यह भी सुनिश्चित किया गया कि इस परियोजना के निर्माण से किसी का विस्थापन नहीं हो रहा है और अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत settlement of rights की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है।

04/10/16

अंचल अधिकारी
पूर्वी टुण्डी

ग्रामसभा/ आमसभा अनापत्ति प्रमाण पत्र

[illegible] ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा 220 के.वी. डी/सी गोविन्दपुर-दुमका पारेषण लाइन निर्माण के लिये वनाधिकार अधिनियम-2006 के अंतर्गत आज दिनांक 03.10.16 ग्राम घरीपाहाड़ .... प्रखण्ड पूर्वी टुण्डी .... जिला धनबाद झारखण्ड, में ग्रामवासियों की एक सभा आयोजित की गयी,जिसमें पावरग्रिड के द्वारा पारेषण लाइन निर्माण से सम्बंधित विस्तृत रूप से चर्चा की गई। चर्चा की विवरणी निम्नवत है:-

1. वन भूमि अप योजन का प्रस्ताव प्रस्तावित क्षेत्र में पड़ने वाले वन निवासियों के ग्राम सभा के समक्ष रखा गया। परियोजना की विस्तृत विवरणी तथा अनुवर्ती प्रभाव के संबंध में वस्तुस्थिति स्थानीय भाषा/मातृभाषा में ग्राम सभा को व्याख्यायित कर दी गयी है।
2. ग्राम सभा में यह बात सुनिश्चित किया गया कि वन भूमि अप योजन के प्रस्ताव के संबंध में की गयी चर्चा एवं लिये गये निर्णय के समय ग्राम सभा के न्यूनतम 50% सदस्य की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।
3. ग्राम सभा में इस बात की पुष्टि की गयी कि आदिम जनजाति समूह एवं आदिम कृषक समुदाय के अधिकार, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा-3(2) (e) के अनुसार, विशेष रूप से रक्षित किया गया है।
4. ग्राम सभा में इस बात की पुष्टि की गयी कि सरकार के द्वारा दिये जाने वाली सुविधाओं से संबंधित वन भूमि अप योजन का प्रस्ताव (यदि कोई हो) के संबंध में (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा-3 (1) (e) की धारा- 3(2) (e) के तहत प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है तथा ग्राम सभा द्वारा इस पर सहमति व्यक्त की गयी है।

ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पावरग्रिड के द्वारा 220 के.वी. डी/सी गोविन्दपुर-दुमका पारेषण लाइन निर्माण के लिये घरीपाहाड़ थाना नं. 256 मौजा (प्लौट संख्या .... R.S. - 14 .... CS - 02 ....) .... का ......01.3419...... हेक्टेयर वन भूमि अपयोजन के लिये अनुशंसा की गई एवं इसकी पुष्टि की गई कि वनाधिकार अधिनियम-2006 के तहत उक्त भूमि पर किसी का दावा नहीं है। ग्रामवासियों द्वारा यह भी सुनिश्चित किया गया कि इस परियोजना के निर्माण से किसी का विस्थापन नहीं हो रहा है और अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत settlement of rights की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है।

[signature] 03/10/16

अंचल अधिकारी
पूर्वी टुण्डी

ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों के नाम व हस्ताक्षर

	नाम	पिता/पति का नाम	हस्ताक्षर
(1)	नौशाद मिया	कुसाल मिया	नौसाद मिया
(2)	हसीना बीबी	नौसाद मिया	हसीना बीबी
(3)	सरीयम बीबी	रफीक अन्सारी	सरीयम बीबी
(4)	आसीया खातुन	नौसाद मिया	आशिया खातुन
(5)	असीदा खातुन	रफिक अन्सारी	असिदा खातुन
(6)	अनवर अंसारी	नौसाद अन्सारी	अनवर अन्सारी
(7)	जहुरन खातुन	सफिक अन्सारी	Jahuran khatun
(8)	सैरुन बीबी	w/o सलीम अन्सारी	सैरुन बीबी
(9)	सुराजु खातुन	s/o सलीम अंन्सारी	सुराजु खातुन
(10)	मो० इरफान अंसारी	s/o मो० जहुर अलि	मो इरफान
(11)	हसीना बीबी	w/o - मो० असगार अन्सारी	हसीना बीबी
(12)	मरयम बीबी	w/o - मो० जहुर अली	
(13)	MD. Salamudin Ansari	S/o - Abu Ahmad	Md. Salimuddin
(14)	MD. AZHAR ANsari	S/o. Salimuddin Ansari	Md. Azhar Ansari
(15)	Md. Asjad Alam	S/o. Salimuddin.	Md. Asjad Alam
(16)	Md. Samim Ansari	S/o. Sahid Ansari	शमीम अंसारी
(17)	मो० असगार अंसारी	जहुर अंसारी	मो० असगार अंसा-
(18)	Abdul Ansari	S/o-Israil Miya.	अब्दुल अंसारी
(19)	Parwez Ansari	S/o- Abdul Ansari	परवेज आलम
(20)	Irfan Ansari	S/o - Johur Ansari	इरफान अंसारी
(21)			

कु० Ram.
Jahan Ara
03/10/16

[illegible]

अंचल अधिकारी
[illegible]

	नाम	पिता का नाम	
24,	गुड़िया खातुन	अख्तर अंसारी	गुड़िया [illegible]
25		मुख्तार अंसारी	मेहरू खातुन
26	मेहरू - खातुन		
27	रुबी प्रविन	जलिल अंसारी	रुबी प्रवि[illegible]
28	Sahabuddin [illegible]	~~[illegible]~~ इब्राहिम अंसारी	Sahabuddin [illegible]
29	साजीद अंसारी	इमामुल अंसारी	साजीद अंसारी
30	सोनामुनी मैन्यान	कुम्भा सोरेन	सोनामनी मैयान वार्ड सदस्य 02 फतेहपुर ग्रा०क० कयानी

विनोद प्रसाद सिन्हा
शा० स० से० पु० रां०नि०
[illegible]
03.10.2016

[illegible]
Jahanara
03/10/16

[illegible]
अंचल अधिकारी
पूर्वी टुण्डी

BARAYA TANR - 256
PLOT NO - 2
AREA - 0.3419 (Hectre)

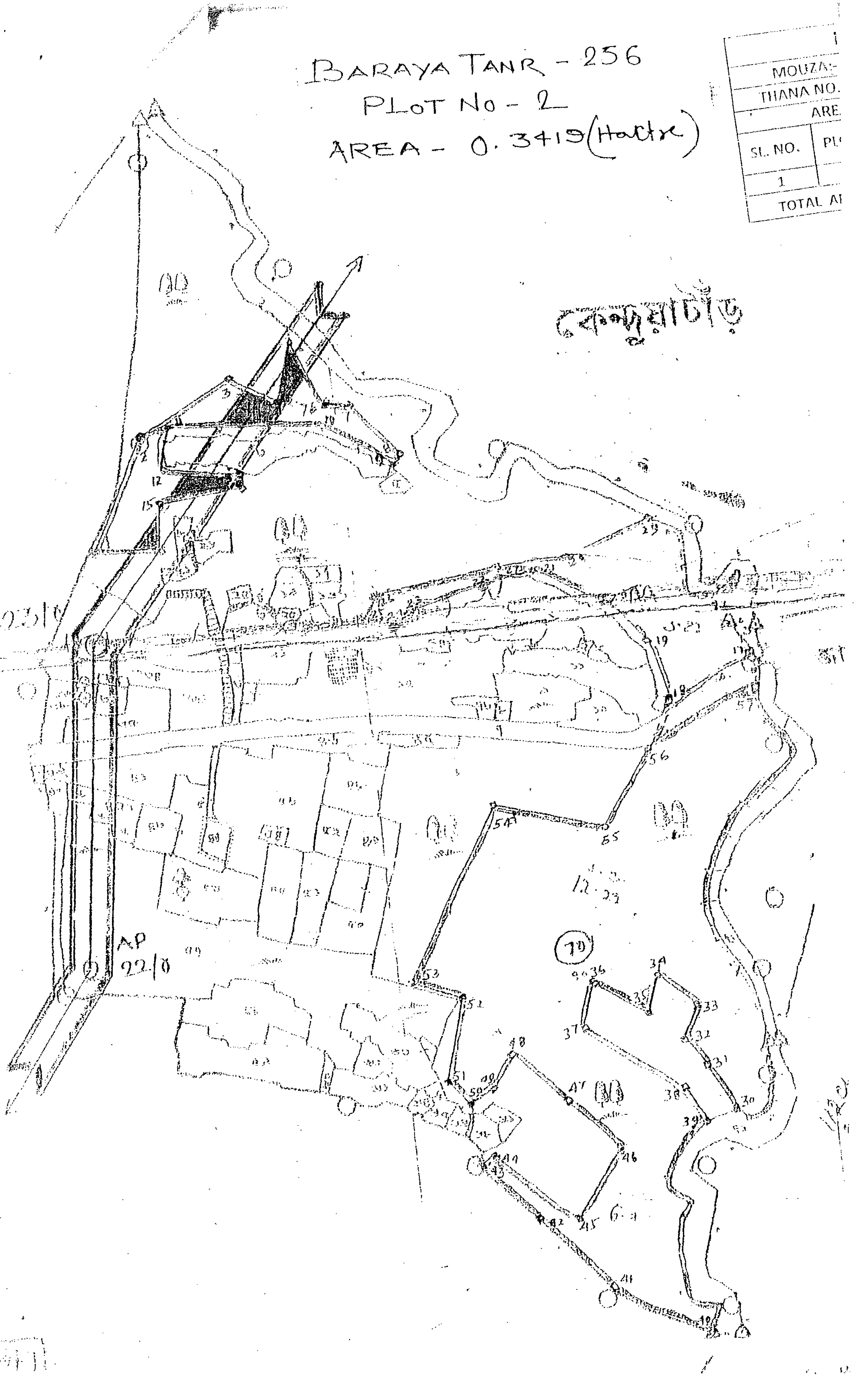

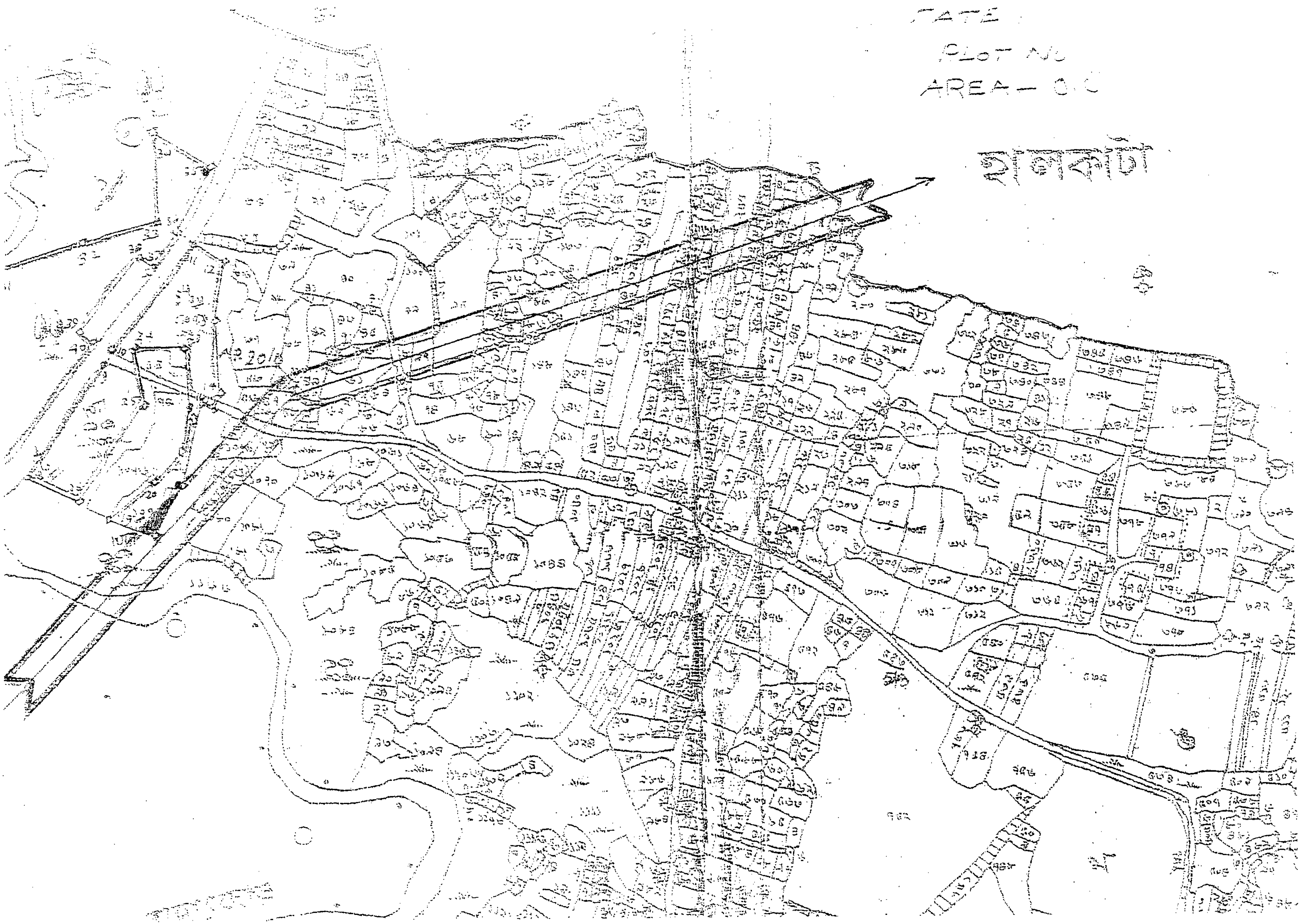
PLOT No
AREA – 0.C